ऑन लाईन नं. RCMS 2025/109

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 28 / 2025

1. सुखदेव सिंह पुत्र मक्खन सिंह जाति जटसिख निवासी 18 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. जसमेल कौर पुत्री दरबारा सिंह पत्नी अमर सिंह जाति जटसिख निवासी केवल तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. मलकीत कौर पुत्री दरबारा सिंह पत्नी सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी धर्मपुरा (हरियाणा)
3. प्रीतम कौर पुत्री दरबारा सिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी धर्मपुरा (हरियाणा)
4. लाभ कौर पुत्री दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी दानेवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. बिन्दर कौर पुत्री अंग्रेज कौर जाति जटसिख निवासी केवल तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
6. जरनैल सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 18 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. कुलदीप सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 18 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. हरफूल सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी 18 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
9. प्रकाश कौर पत्नी इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 18 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
10. जसकीरत सिंह पुत्र जगविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 18 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
11. सतविन्द्र कौर पत्नी जगविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 18 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
12. भवकिरत सिंह पुत्र जगविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 18 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।
13. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर ।

— रेस्पोडेंटान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 जरिये विरास्तन दर्ज कर दिनांक 04.06.2025 को नामान्तरण स्वीकृत कर विधि विरूद्व दर्ज किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

1. श्री बलकरण सिंह बराड़, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री महेश दादरवाल , रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 5
3. श्री रिछपाल सिंह , रेस्पोडेन्ट संख्या 06 ता 12

:: आदेश :: दिनांक :– 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता मक्खन सिंह व उसके भाई कुलदीप सिंह, इन्द्रजीत सिंह व जरनैल सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी 18 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 27.08.1985 को जरिये इकरारनामा चक 18 आर.बी. के मुरब्बा नम्बर 06 की 11.05 बीघा नहरी कृषि भूमि जरिये इकरारनामा खरीद की गई थी, उक्त कृषि भूमि का आज भी कब्जा काश्त अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 के पास चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान न्यायालय के समक्ष सरकार बनाम दरबारा सिंह, प्रकरण संख्या 03/2022 धारा 13ए (1–ए) के अन्तर्गत चला। उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय द्वारा आवंटी के वकील की बहस सुनकर दिनांक 31.05.1995 को सम्मन शुल्क 17250/– रूपये जमा करवाकर कृषि भूमि के स्थानान्तरण को विधि मान्य घोषित किया गया तथा आदेश में यह नोट अंकित किया गया कि बैयनामा पंजीबद्व होने एवं सनद बनने के पश्चात् ही यह आदेश मान्य होगें। अपीलांट के भाई कुलदीप सिंह व जरनैल सिंह की ओर से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर के समक्ष वाद संख्या 17/2010 कुलदीप सिंह आदि बनाम अंग्रेज कौर आदि पेश किया गया, जो दिनांक 28.01.2020 को खारिज फरमाया गया जिसके विरूद्व अपीलांट के भाई कुलदीप सिंह व जरनैल सिंह द्वारा अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के समक्ष अपील संख्या 02/2020 पेश की है, जो अपर जिला न्यायालय रायसिंहनगर में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 को इस बात का भली–भांति ज्ञान होने के बावजूद कि हमारे पिता दरबारा सिंह द्वारा दिनांक 27.08.1985 को विवादित कृषि भूमि का बेचान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 के हक में किया हुआ है और उक्त कृषि भूमि का कब्जा काश्त भी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 के पास है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के साथ मिली भगत कर नाजायज राजनैतिक दबाव बनाकर दिनांक 05.05.2025 को इन्तकाल संख्या 506 विरास्तन अपने हक में दर्ज करवा लिया, जो काबिले निरस्त है। उक्त आदेश के विरूद्व निम्न आधारों पर श्रीमान न्यायालय में अपील पेश की जा रही है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात व पत्रावली पर आई दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया, जो खारिज होने योग्य है। इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
2. यह कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 के द्वारा चक 18 आर.बी. के खाता संख्या 48/41 के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 16 की कुल 2.910 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दिनांक 27.08.1985 को पूर्ण प्रतिफल देकर

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पिता दरबारा सिंह से खरीद की गई है जिस पर आज भी कब्जा काश्त अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 का शांति पूर्वक चला आ रहा है जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 द्वारा सावनी की फसल बिजान्द की गई है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते वक्त ना तो अपीलांट व ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 को कोई जरिये नोटिस सूचना दी, ना ही जरिये रजिस्ट्री नोटिस, ना ही जरिये अखबार कोई तलबी जारी की। बिना सुनवाई किये एक तरफा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के हक में विधि विरूद्व तरीके से इन्तकाल दर्ज किया है जो काबिले निरस्त है।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय को विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व उक्त विवादित कृषि भूमि के कब्जा के बारे में राजस्व मण्डल के नियमों के अनुसार देखकर इन्तकाल दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि बिना कब्जा दर्ज किया गया इन्तकाल काबिले निरस्त होने योग्य है।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 132 से 135 का भी पालन नहीं किया गया है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज होने योग्य है।
6. यह कि उक्त विवादित कृषि भूमि की पानी की बारी भी अपीलांट के पिता मक्खन सिंह के नाम से चली आ रही है। पानी की बारी पर्ची वर्ष 2024 से दिनांक 27.04.2024 की फोटो प्रति सलंग्न अपील है।
7. यह कि अपीलांट प्रभावित एवं हितबद्व पक्षकार है जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया तथा ना ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया, इसलिए अपीलांट द्वारा अलग से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है।
8. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 तरतीबी पक्षकार है, जो आज मौका पर न होने की वजह से उनको बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 संयोजित किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 का अनुतोष अपीलांट के साथ है।
9. यह कि विधि विरूद्व तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के हक में किये गये विरास्तन इन्तकाल के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 इस बात का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त कृषि भूमि को आगे अन्य किसी भू–माफिया एवं अपराधिक प्रवृति के लोगों को बेचान की पूरजोर कोशिश में है तथा इस आश्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा गजसिंहपुर मण्डी, रायसिहनगर मण्डी एवं श्रीगंगानगर के नामी प्रोपर्टी डिलरों से सम्पर्क कर उनको कई दफा मौका पर ले जाकर कृषि भूमि दिखाई जा चुकी है, यदि रेस्पोडेन्टगण अपने इस आश्य में सफल हो जाते है तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती, इसलिए न्यायहित में स्थगन आदेश जारी किया जाना जरूरी है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

10. यह कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु अपीलांटगण के हक में बाखुबी साबित है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
11. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है, इसलिए उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद अपील श्रीमान न्यायालय में पेश की जा रही है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 व नामान्तरण स्वीकृत दिनांक 04.06.2025 को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस निम्नानुसार पेश की है :–

1. यह कि प्रार्थी के पिता मक्खन सिंह, कुलदीप सिंह, जरनैल सिंह व इन्द्रजीत सिंह द्वारा दिनांक 27.08.1985 को जरिये इकरारनामा दरबारा सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 आर.बी. तहसील रायसिहनगर जरिये मुखत्यारे आम जीत सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 42 आर.बी. तहसील पदमपुर व मेहर सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 3 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से चक 18 आर.बी. के मुरब्बा नम्बर 6 की 11.05 बीघा नहरी कृषि भूमि बिलमुक्ता मुबलिग 27000/– रूपये का पूर्ण प्रतिफल अदा करके खरीद की थी जिसका मौका पर कब्जा भी खरीददार द्वारा प्राप्त कर लिया गया था।
2. यह कि दरबारा सिंह पुत्र वीर सिंह का काफी अरसा पूर्व देहान्त हो चुका है। जिसके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 विधिक वारिसान है।
3. यह कि प्रार्थी के भाई मक्खन सिंह व इन्द्रजीत सिंह का भी देहान्त हो चुका है। मक्खन सिंह का प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 विधिक वारिसान है तथा इन्द्रजीत सिंह की पत्नी प्रकाश कौर व पुत्र जोगेन्द्र सिंह विधिक वारिसान है, लेकिन जोगेन्द्र सिंह भी फौत हो चुका है। जोगेन्द्र सिंह की पत्नी सतेन्द्र कौर रेस्पोडेन्ट संख्या 11, जसकिरत सिंह पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 10, भवकिरत पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 12 पक्षकार है।
4. यह कि श्रीमान जी उक्त इकरारनामा दिनांक 27.08.1985 को उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13ए का उल्लधंन मानते हुए तहसीलदार की रिपोर्ट पर माननीय जिला कलक्टर द्वारा धारा 13ए की कार्यवाही दर्ज रजिस्टर की गई जिसमें श्रीमान जिला कलैक्टर द्वारा मृतक दरबारा सिंह (बेचानकर्ता) को नोटिस जारी किया गया। दरबारा सिंह जरिये अधिवक्ता श्रीमान जिला कलक्टर के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी बहस में मुरब्बा नम्बर 6 की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होना जाहिर किया और यह कहा कि केता के नाम से हस्तान्तरण विधि मान्य घोषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है जिस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पर श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा सम्मन शुल्क धारा 13(ए)(1–ए) उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत जरिये चालान नम्बर 244 दिनांक 27.12.1992 द्वारा राशि 17,250/– रूपये एक मुश्त जमा खजाना करवाकर आराजी के हस्तान्तरण को विधि मान्य घोषित इस शर्त पर किया जाता है कि आराजी मुतनाजा की सनद जारी होने व बैयनामा पंजीबद्व होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश जारी किया जावें। आदेश कमांक 116792 दिनांक 31.05.1995 जारी किया गया जिसकी फोटो प्रति शामिल पत्रावली है।

5. यह कि श्रीमान जी चक 18 आर.वी.के मुरब्बा नम्बर 6 की 11 बीघा 10 बिस्वा नहरी कृषि भूमि पर आज भी कब्जा काश्त खरीद रोज से प्रार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 12 के पास चली आ रही है तथा पानी की पर्ची भी मक्खन सिंह के नाम से चली आ रही है जिसकी फोटो प्रति सलंग्न पत्रावली है।
6. यह कि श्रीमान जी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 132 ता 135 का घोर उल्लधंन किया है। जैर अपील इन्तकाल दर्ज करते वक्त कब्जे का बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि मौका पर कब्जा अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 के पास है।
7. यह कि श्रीमान जी उक्त कृषि भूमि की सनद दिनांक 19.07.1995 को दरबारा सिंह के नाम से जारी की गई जिसके आधार पर दरबारा सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज हुई। दरबारा सिंह का देहान्त होने के कारण उसके विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के मन में लालच आने की वजह से जमीन का बैयनामा पंजीबद्व नही करवाने के कारण कुलदीप सिंह द्वारा एक वाद पत्र बाबत बैयनामा पंजीबद्व करवाने अपर जिला न्यायाधीश , रायसिहनगर के समक्ष कुलदीप सिंह बनाम दरवारा सिंह आदि , वाद पत्र संख्या 09/2002 पेश किया जिसका फैसला अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.10.2010 को करते हुए वाद पत्र खारिज फरमा दिया गया। अपर जिलाधीश रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 29.10.2010 के विरूद्व अपील माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
8. यह कि श्रीमान जी कुलदीप सिंह द्वारा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष वाद अनवानी कुलदीप सिंह बनाम अंग्रेज कौर आदि वाद संख्या 17/2010 पेश किया जिसका फैसला सिविल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 28.01.2020 को करते हुए कुलदीप सिंह का वाद पत्र निरस्त फरमाया गया।
9. यह कि श्रीमान जी कुलदीप सिंह द्वारा सिविल न्यायाधीश रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 28.01.2020 की अपील माननीय अपर जिला न्यायाधीश , रायसिहनगर के समक्ष कुलदीप सिंह बनाम जसमैल कौर आदि अपील संख्या 02/2020 पेश कर रखी है जिसमें आगामी पेशी वास्ते बहस हेतु दिनांक 25.11.2025 मुकरर्र है।
10. यह कि कुलदीप सिंह द्वारा एक वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के समक्ष वाद संख्या 130/2010 कुलदीप सिंह बनाम अंग्रेज कौर आदि अन्तर्गत धारा 88–92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसका फैसला उपखण्ड

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के आधार पर करते हुए कुलदीप सिंह का वाद पत्र दिनांक 16.01.2023 को खारिज फरमा दिया गया।

11. यह कि श्रीमान जी उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर के आदेश दिनांक 16.01.2023 के विरूद्व अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष जरनैल सिंह बनाम अंग्रेज कौर अपील संख्या 31/2023 पेश हुई जिसका फैसला दिनांक 16.04.2025 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा करते हुए अपील खारिज फरमाई गई।

12. यह कि श्रीमान जी के आदेश दिनांक 16.04.2025 के विरूद्व अपील जरनैल सिंह बनाम अंग्रेज कौर अपील संख्या 3154/2025 पेश की गई जिसमें आगामी तारीख पेशी 14.11.2025 नियत है।

13. यह कि श्रीमान जी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को इस बात का भली–भांति ज्ञान एवं इल्म है कि हमारे पिता दरबारा सिंह द्वारा अपनी घरेलू आवश्कताओं की पूर्ति करने के लिए चक 18 आर.बी. के मुरब्बा नम्बर 6 की 11.10 बीघा नहरी कृषि भूमि कुलदीप सिंह, मक्खन सिंह, जरनैल सिंह व इन्द्रजीत सिंह को जरिये इकरारनामा दिनांक 27.08.1985 को पूरा प्रतिफल लेकर बेचान की जा चुकी है, इसके बावजूद भी दरबारा सिंह की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान होने का नाजायज फायदा उठाते हुए तथा लालच वश जानबूझकर राजस्व कर्मचारीयों एवं अधिकारीयों से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर विरास्तन इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 अपने नाम से दर्ज करवा लिया गया, जो विधि विरूद्व है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

14. यह कि श्रीमान जी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को इस बात का भी भली–भांति ज्ञान एवं इल्म है कि सिविल वाद संख्या 02/2020 अनवानी कुलदीप सिंह बनाम जसमैल कौर आदि माननीय अपर जिला न्यायाधीश , रायसिंहनगर के समक्ष जैरकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी वास्ते बहस दिनांक 25.11.2025 मुकर्रर है।

15. यह कि श्रीमान जी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को इस बात का भी भली–भांति ज्ञान एवं इल्म है कि राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 3154/2025 अनवानी जरनैल सिंह बनाम अंग्रेज कौर विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 14.11.2025 नियत है।

16. यह कि श्रीमान् जी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को इन तमाम तथ्यों का ज्ञान होते हुए भी दरबारा सिंह के नाम की कृषि भूमि का इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवाकर ओने–पोने दामों में किसी भी अजनबी व्यक्ति को बेचने की फिराक में है। शहर के बड़े–बड़े प्रोपर्टी डिलरों को कृषि भूमि पर विजिट करवाई जाकर कृषि भूमि दिखाई जा रही है, यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 कृषि भूमि को बेचने में कामयाब हो गये तो अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा और मौका पर लड़ाई झगड़े का भी पूरा–पूरा अन्देशा बना रहेगा, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

17. यह कि श्रीमान जी सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 बड़ी स्पष्ट है कि " सम्पति सम्बन्धी वाद के लम्बित रहते हुए सम्पति का अन्तरण–जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत की सीमाओं के अन्दर प्राधिकारवान या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं के परे स्थापित किसी न्यायालय में ऐसे वाद या कार्यवाही के लम्बित रहते हुए जो दुस्संधिपूर्ण न हो और जिसमें स्थावर सम्पति का कोई अधिकार प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टः प्रश्नगत हो, वह सम्पति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निबन्धनों के साथ, जैसे वह अधिरोपित करें अन्तरित या व्ययनित नहीं की जाने के सिवाय ऐसे अन्तरित या अन्यथा व्ययनित नहीं की जा सकती कि उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री या आदेश के अधीन जो उसमें दिया जावें, अधिकारों पर प्रभाव पड़े।

स्पष्टीकरण–किसी वाद या कार्यवाही का लम्बन इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से प्रारम्भ हुआ समझा जायेगा, जिस तारीख को समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय में वह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया या वह कार्यवाही संस्थित की गई है और तब तक चलता हुआ समझा जायेगा जब तक उस वाद पत्र या कार्यवाही का निपटारा अन्तिम डिक्री या आदेश द्वारा न हो गया हो ऐसे डिक्री या आदेश को पूरी पुष्टि या उन्मोचन अभिप्राप्त न कर लिया हो या तत्सम प्रवृत विधि द्वारा उसके निष्पादन के लिए विहित किसी अवधि के अवसान के कारण वह अनभिप्राप्य न हो गया हो।

18. यह कि श्रीमान जी माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा जारी समय–समय पर प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुरूप किसी भी चल व अचल सम्पति की सुरक्षा करना सक्षम न्यायालय का सर्वोपरि धर्म है। यदि रेस्पोडेन्ट लालच वश विवादित इन्तकाल संख्या 506 का नाजायज फायदा उठाते हुए कृषि भूमि आगे बेच देते है जिससे पक्षकारों में ओर ज्यादा विवाद बढेगें। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः लिखित बहस पेश करके निवेदन है कि श्रीमान जी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 को निरस्त फरमाया जावें तथा पुनः इन्तकाल दरबारा सिंह के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये जावें तथा यह भी निर्देश दिया जावें कि जब तक अन्य सक्षम न्यायालयों में अधिकारों के लिए वाद विचाराधीन है तब तक कोई भी आगामी कार्यवाही अमल में ना लाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अपनी लिखित बहस दिनांक 27.10.2025 को पेश कर बहस में निम्नानुसार कथन किया है:–

विविध आपत्तियां :–

1. यह कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के इंतकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 जो कि विरास्तन इंतकाल दर्ज किया गया है जिसके विरूद्व अपील पेश की गई है जिसमें अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति हेतू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा जवाब पेश किया गया है इसलिए अपील के गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का निस्तारण करना आवश्यक है।

यह कि अपीलांट की अपील का मुख्य आधार अपंजीकृत ईकरारनामा है विधिक स्थिति के अनुसार ईकरारनामा के आधार पर अपीलांट को कोई स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ईकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय अपीलांट को कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए अपीलांट पीड़ित, व्यथित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती तथा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर ना तो कोई मौखिक, लिखित बहस में लेश मात्र भी बहस नहीं की गई है, इसलिए अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज फरमाया जावें तथा इसी आधार पर अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावें इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृटान्त Amit and others Vs. Sant Ram RRT 2018-19 (Supp) Page 2006 में यह सिद्वान्त पारित किया गया है कि करार के आधार पर राजस्व न्यायालय कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकती तथा करार के आधार पर कोई हक व स्वत्व प्राप्त नहीं होते है, इसलिए अपीलांट पीड़ित व व्यथित पक्षकार नहीं है इसलिए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त Hadiya Vs. Makhji and other RRT 2023 (1) Page 31 में यह सिद्वान्त पारित किया गया है कि:– No Any Right Created on the bassis on the unregistered Aggrement to sale इसलिए विधि परिस्थितियों के अनुसार अपील को आरम्भिक स्तर पर खारिज किया जाना आवश्यक है।

सारवान तथ्य :–

2. यह कि मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पिता दरबारा सिंह को ना तो रूपयों की कोई आवश्यकता थी और ना ही कभी दरबारा सिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी को बेचने का ईकरारनामा किया तथाकथित ईकरारनामा जरिये मुखत्यारेआम किया गया है जबकि मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पिता दरबारा सिंह द्वारा ना तो कोई मुखत्यारेआम जीत सिंह व मेहर सिंह के पक्ष में कभी निष्पादित नहीं किया गया। फर्जी व्यक्तियों को खड़ा करके ईकरारनामा तैयार किया गया है अगर बैचाननामा/ईकरारनामा सद्भावी होता तो अवश्य ही दरबारा सिंह से ही ईकरारनामा करवाया जाता और उस पर दरबारा सिंह के ही हस्ताक्षर होते। मुखत्यारनामा पूर्णतया फर्जी दस्तावेज है जोकि दरबारा सिंह के नाम की वादग्रस्त भूमि को हड़प करने की नियत से बनाया गया है और इस

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)

ईकरारनामा का बार–बार उपयोग कर अपीलांट को अपने हक व अधिकारों से वंचित करने का बार–बार प्रयास किया जा रहा है।

3. यह कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील में यह अभिवाक् लिया गया है कि तथाकथित ईकरारनामा के सम्बन्ध में सरकार बनाम दरबारा सिंह, प्रकरण संख्या 03/2022 धारा 13(ए) कॉलोनाईजेशन एक्ट के तहत चला तथा आवंटी के वकील की बहस सुनकर दिनांक 31.05.1995 को सम्मन् शुल्क जमा करवाकर कृषि भूमि हस्तान्तरण विधि–मान्य घोषित किया गया है, जबकि आवंटी दरबारा सिंह की मृत्यु दिनांक 13.11.1988 को हो चुकी थी, जिससे यह साबित है कि जब सन् 1988 को आवंटी दरबारा सिंह की मृत्यु हो गई थी तो सन् 1995 को दरबारा सिंह द्वारा अपना वकील नियुक्त कर ईकरारनामा को विधिमान्य घोषित करवाने की कहानी पूर्णतया संदिग्ध है। कोई फर्जी व्यक्ति खडा करके फर्जीकारी करते हुए ईकरारनामा को विधि मान्य घोषित करवाया है जिससे अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। दरबारा सिंह की मृत्यु का प्रमाणित दस्तावेज सलंग्न लिखित बहस है।

4. यह कि तथाकथित फर्जी ईकरारनामा के आधार पर अपीलांट के पिता द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, रायसिहनगर में तथाकथित ईकरारनामा दिनांक 27.08.1985 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिस पर सिविल न्यायालय द्वारा तथाकथित ईकरारनामा पर पूर्ण फाईडिंग देकर उक्त ईकरारनामा को ना साबित माना है तथा मुखत्यारनामा के आधार पर जो ईकरारनामा किया गया है उस मुखत्यारनामा को ही साबित नहीं माना है जब सिविल न्यायालय द्वारा ईकरारनामा को ना साबित करते हुए ईकरारनामा पर निष्कर्ष देते हुए वाद पत्र खारिज कर दिया है तो राजस्व न्यायालय उक्त ईकरारनामा के आधार पर कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकती।

5. यह कि सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2020 के विरूद्व अपीलांट द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश , रायसिंहनगर में अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया जब न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश , रायसिहनगर द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया जो कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2023 को खारिज कर दिया गया उसके बाद न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा भी अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई जिसकी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपीलांट को प्रथम दृष्टया मामला ना मानते हुए अपीलार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तथा अपीलांटान

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में भी उक्त ईकरारनामा के आधार पर अपील प्रस्तुत कर रखी है जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी अपीलांट को आज तक कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त ईकरारनामा के आधार पर कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकती। इस प्रकार बार-बार कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है। अब कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर गलत तथ्यों के आधार पर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है ताकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 अपनी कृषि भूमि का उपयोग , उपभोग न कर सकें।

6. यह कि अपीलांट द्वारा फर्जी मुखत्यारनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बैचान दिखाया गया है जो कि कानूनी तौर पर गलत है क्योंकि रजिस्टर्ड मुखत्यारनामा के आधार पर कोई बैचान किया जा सकता है जबकि तथाकथित मुखत्यारनामा न तो रजिस्टर्ड है और ना ही पंजीबद्व है इसलिए तथाकथित मुखत्यारनामा के आधार पर जो ईकरारनामा कर बैचान दिखाया गया है वह कानूनी रूप से पूर्णतया अवैध है।

7. यह कि गिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पिता दरवारा सिंह की पुत्रीयां है जो वृद्व उम्र की है उनकों कृषि भूमि से वंचित किये जाने के लिए अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त ईकरारनामा के आधार पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

8. यह कि उक्त ईकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा अपीलांटान को जब कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया तो श्रीमान न्यायालय उक्त फर्जी ईकरारनामा के आधार पर कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकती इसलिए जो विरास्तन इंतकाल किया गया है वह सही किया गया है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं होगा इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि :-

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी की चरण संख्या -2 को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 हितबद्व एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित है, क्योंकि अपीलांट का अपील का मुख्य आधार इकरारनामा है और इकरारनामा के आधार पर अपीलांट को कोई हक व अधिकार सर्जित नहीं होते है तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा मूल वाद संख्या 17/2010 का निर्णय दिनांक 28.01.2020 को करते हुए इकरानामा को साबित नहीं माना है और

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

ना ही कब्जा को साबित माना है, इस प्रकार जब वरिष्ठ सिविल न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में इकरारनामा को नहीं माना है तो इस इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय अपीलांट को कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी लिखित बहस में निम्न नजीरे पेश की है।

1. न्यायियक दृटान्त Amit and others Vs. Sant Ram RRT 2018-19 (Supp) Page 2006
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त Hadiya Vs. Makhji and other RRT 2023 (1) Page 31 में यह सिद्वान्त पारित किया गया है कि:– No Any Right Created on the bassis on the unregistered Aggrement to sale

प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी को इस आधार पर अस्वीकार करना कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा मूल वाद संख्या 17/2010 का निर्णय दिनांक 28.01.2020 करते हुए इकरारनामा को साबित नहीं माना जिसके आधार पर अपीलांट अपील में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, विधिमान्य नहीं है क्योंकि किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया जाता है उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में करने हेतु सम्बन्धित पक्षकार स्वतन्त्र होते है। अपीलांट द्वारा भी उक्त वाद की अपील माननीय अपर जिला न्यायाधीश , रायसिहनगर के समक्ष कुलदीप सिंह बनाम जसमैल कौर आदि अपील संख्या 02/2020 पेश कर रखी है जिसमें आगामी पेशी वास्ते बहस हेतु दिनांक 25.11.2025 मुकर्रर है। मुख्य बिन्दु यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा चक 18 आर.बी. के मुरब्बा नम्बर 6 की 11.10 बीघा नहरी कृषि भूमि पर उनका कब्जा हो इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जबकि अपीलांट द्वारा पानी की पर्ची जो कि अपीलांट के वारिसान के नाम से पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से एवंम सिविल न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 सिविल वाद एवं अपील में भी पक्षकार है। ऐसी सूरत में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 12 हितबद्व एवं प्रभावी पक्षकार है, इसलिए अपीलांट को उक्त विवादित इन्तकाल स्वीकृत करते समय सुना जाना आवश्यक था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित इन्तकाल स्वीकृत करते समय सुना गया हो ऐसा कोई तथ्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में वर्णित नजीर Amit and others Vs. Sant Ram RRT 2018-19 (Supp) Page 2006 की प्रति पेश नहीं की है। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत नजीर Hadiya Vs. Makhji and other RRT 2023 (1) Page 31 चस्पा नहीं होती है क्योंकि उक्त नजीर में इकरारनामा पर सिविल राईटो को माना गया है, जिसके सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश , रायसिहनगर के समक्ष कुलदीप सिंह बनाम जसमैल कौर आदि अपील संख्या 02/2020 पेश कर रखी है, जो विचाराधीन है। इसलिए अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीर हस्तग्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत लिखित बहस एवंम दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि :–

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों के साथ प्रस्तुत फोटो प्रति आदेश श्रीमान जिला कलक्टर महोदय क्रमांक 116792 दिनांक 31.05.1995 में "रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पिता दरबारा सिंह (मृतक) के अधिवक्ता द्वारा धारा 13ए उपनिवेशन अधिनियम के प्रकरण में जिला कलक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बहस में मुरब्बा नम्बर 6 की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होना जाहिर किया और यह कहा कि क्रेता के नाम से हस्तान्तरण विधि मान्य घोषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है" जिस पर सम्मन शुल्क धारा 13(ए)(1–ए) उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत जरिये चालान नम्बर 244 दिनांक 27.12.1982 द्वारा राशि 17,250/– रुपये एक मुश्त जमा खजाना होने पर श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा आराजी के हस्तान्तरण को विधि मान्य घोषित इस शर्त पर किया कि आराजी मुतनाजा की सनद जारी होने व बैयनामा पंजीबद्ध होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में असल दरामद किया जावें।

जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 116792 दिनांक 31.05.1995 की पालना में दरबारा सिंह के देहान्त होने पर उसके विधिक वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के द्वारा उक्त विवादित भूमि का बैयनामा पंजीबद्ध नहीं करवाने के कारण कुलदीप सिंह द्वारा एक वाद पत्र बाबत बैयनामा पंजीबद्ध करवाने अपर जिला न्यायाधीश , रायसिंहनगर के समक्ष कुलदीप सिंह बनाम दरबारा सिंह आदि , वाद पत्र संख्या 09/2002 पेश किया गया जिसका फैसला अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.10.2010 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मृतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद पेश किया गया है जिसका हवाला वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा मूल वाद संख्या 17/2010 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2020 में दिया गया है। " अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 के साथ सलंग्न रिपोर्ट पटवार मण्डल 71 आर.बी. दिनांक 06.03.2020 में पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया कि :– चक 18 आर.बी. जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 खाता नम्बर 103 पत्थर नम्बर 212/253, मुरब्बा नम्बर 39 का कुल 3.163 बारानी रकबा अंग्रेज कौर वगैरा पिसरान दरबारा सिंह हर पांच ब.हि.ब. कौम जटसिख साकिन केवल (सिरसा) गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी चक की जमाबन्दी खाता संख्या 48 पत्थर नम्बर 212/245 मुरब्बा नम्बर 06 किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 15 व 16/1/ कुल 2.910 हैक्टर नहरी रकबा जो दरबारा सिंह पुत्र वीर सिंह कौम जटसिख साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर एडीजे कोर्ट का स्थगन आदेश जो कार्यालय उप तहसीलदार (भू0अ0) गजसिंहपुर कमांक :– भू0अ0/20/567 से दिनांक 05.03.2020 को प्राप्त हुआ। जिसकी प्रति सलंग्न है। अतः आपसे मार्गदर्शन हेतु निवेदन है कि उक्त स्थगन आदेश के दौरान प्राप्त दस्तावेजों से विरासतन का नामान्तरण दर्ज किया जावें अथवा नहीं । कृप्या कर मार्गदर्शन फरमावें।"

हल्का पटवारी की इस रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट हो रही है कि आवंटी दरबारा सिंह के नाम की कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व एवं सिविल वाद पत्र विचाराधीन होना स्पष्ट होता है एवंम हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 का हो ऐसा कोई विवरण भू–राजस्व नियमों की पालना में अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 के सम्बन्ध में उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से भी पाया कि उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 को स्वीकृत करने से पूर्व हल्का पटवारी से कब्जा बाबत कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है जबकि भू–राजस्व नियमों की

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पालना में हल्का पटवारी से कब्जा के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय बिना पटवारी हल्का की रिपोर्ट के ही विवादित इन्तकाल दर्ज किया गया है जो प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के तहत कथन किया है कि:– " सम्पति सम्बन्धी वाद के लम्बित रहते हुए सम्पति का अन्तरण–जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत की सीमाओं के अन्दर प्राधिकारवान या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं के परे स्थापित किसी न्यायालय में ऐसे वाद या कार्यवाही के लम्बित रहते हुए जो दुर्स्संधिपूर्ण न हो और जिसमें स्थावर सम्पति का कोई अधिकार प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टः प्रश्नगत हो, वह सम्पति उस वाद या कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निबन्धनों के साथ, जैसे वह अधिरोपित करें अन्तरित या व्ययनित नहीं की जाने के सिवाय ऐसे अन्तरित या अन्यथा व्ययनित नहीं की जा सकती कि उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री या आदेश के अधीन जो उसमें दिया जावें, अधिकारों पर प्रभाव पड़े।

स्पष्टीकरण–किसी वाद या कार्यवाही का लम्बन इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस तारीख से प्रारम्भ हुआ समझा जायेगा, जिस तारीख को समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय में वह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया या वह कार्यवाही संस्थित की गई है और तब तक चलता हुआ समझा जायेगा जब तक उस वाद पत्र या कार्यवाही का निपटारा अन्तिम डिक्री या आदेश द्वारा न हो गया हो ऐसे डिक्री या आदेश को पूरी पुष्टि या उन्मोचन अभिप्राप्त न कर लिया हो या तत्सम प्रवृत विधि द्वारा उसके निष्पादन के लिए विहित किसी अवधि के अवसान के कारण वह अनभिप्राप्य न हो गया हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुँ कि :–

उक्त हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को इस बात का भली–भांति ज्ञान होते हुए भी कि पक्षकारों के मध्य सिविल एवं राजस्व वाद विचाराधीन है के बावजूद भी विवादित इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 को स्वीकृत कर कानूनी भूल की है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 1167/92 निर्णय दिनांक 31.05.1995 में यह अंकित किया कि क्रेतागण द्वारा सम्मन शुल्क धारा 13(ए)(1–ए) उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत जरिये चालान नम्बर 244 दिनांक 27.12.1992 द्वारा राशि 17,250/– रूपये एक मुश्त जमा खजाना होने पर उक्त आराजी के हस्तान्तरण को विधि मान्य घोषित इस शर्त पर किया कि आराजी मुतनाजा की सनद जारी होने व बैयनामा पंजीबद्व होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। उक्त विवादित भूमि की सनद आवंटी दरबारा सिंह के नाम से दिनांक 19.07.1995 में जारी हुई। सनद जारी होने के बाद आवंटी के वारिसान द्वारा बैयनामा पंजीबद्व नही करवाने के कारण कुलदीप सिंह द्वारा एक वाद पत्र बाबत बैयनामा पंजीबद्व करवाने अपर जिला न्यायाधीश , रायसिहनगर के समक्ष कुलदीप सिंह बनाम दरबारा सिंह आदि , वाद पत्र संख्या 09/2002 पेश किया गया जिसका फैसला अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.10.2010 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मृतक व्यक्ति के विरूद्व वाद पेश किया गया है। जिसके बाद से आज दिनांक तक उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन चले आ रहे है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

विवादित भूमि के सम्बन्ध जो इकरारनामा दरबारा सिंह द्वारा जरिये मुखत्यारनामा अपीलांट के वारिसान द्वारा उक्त विवादित भूमि कय की गई को निरस्त नहीं करवाया गया। जहां तक कब्जा रेस्पोडेन्टस द्वारा अपना होना बताया जबकि इस न्यायालय की पत्रावली संख्या 1167/92 , वर्तमान नम्बर 276/25 स्टेट बनाम दरबारा सिंह धारा 13 ए जो कि मुरब्बा नम्बर 39 की 12.06 बीघा से सम्बन्धित है विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार रायसिहनगर की रिपोर्ट कमांकः–टीआरए/07/4035 दिनांक 07.12.2007 में चक 18 आर.बी. का मुरब्बा नम्बर 06 के 11.10 बीघा नहरी कृषि भूमि जो कि दरबारा पुत्र वीर सिंह सा. देहखातेदार दर्ज है , मौका पर उक्त रकबा पर कुलदीप सिंह, मखन सिंह, इन्द्रजीत सिंह, जरनैल सिंह पिसरान आत्मा सिंह का कब्जा काश्त बताया गया है। जिससे प्रमाणित है कि कब्जा केतागण का ही है।

फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गजसिंहपुर द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 506 दिनांक 05.05.2025 को निरस्त किया जाता है आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner